दिल्ली विकास प्राधिकरण

राज निवास, दिल्ली में दिनांक 11 अप्रैल 2018 को प्रातः 10.15 बजे हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण बैठक का वृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थें :

अध्यक्ष

श्री अनिल बैजल
उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

1 श्री के.विनायक राव
वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.

2 श्री जयेश कुमार
अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.

3 श्री बी.के. त्रिपाठी
सदस्य सचिव, एन.सी.आर.पी.बी.

4 श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

5 श्री सोमनाथ भारती, विधायक

6 श्री एस.के. बग्गा, विधायक

7 श्री ओ.पी. शर्मा, विधायक

8 श्रीमती वीना विरमानी
निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

सचिव

श्री डी.सरकार
आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रित

1 श्री अंशु प्रकाश
मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

2 श्रीमती रेणु शर्मा
प्रधान सचिव (यू.डी.), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

3 श्री जी. नरेन्द्र कुमार
प्रधान सचिव (एल.एंड बी.), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

4 श्री पुनीत गोयल

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

5 डॉ. रनबीर सिंह
आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

6 श्री मधुप व्यास
आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

7 श्री राजीव वर्मा
प्रधान आयुक्त (एल.डी., एल.एम. एंड एल.पी.), दि.वि.प्रा.

8 श्री श्रीपाल
प्रधान आयुक्त (कार्मिक, उद्यान एवं भूमि सर्वेक्षण), दि.वि.प्रा.

9 श्री शुरबीर सिंह
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी.यू.एस.आई.बी.

उपराज्यपाल सचिवालय

1. श्री विजय कुमार
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव

2. श्रीमति स्वाति शर्मा
उपराज्यपाल की विशेष सचिव

3. श्री आर.एन.शर्मा
उपराज्यपाल के विशेष सचिव

4. श्री रवि धवन
   उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव

5. श्री अनूप ठाकुर
   उपराज्यपाल के निजी सचिव

I. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी प्राधिकरण सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया ।

मद संख्या 07/2018

राजनिवास में दिनांक 21.12.2017 और दिनांक 27.02.2018 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ. 2(2)2018/एम.सी./डी.डी.ए.

दिनांक 21.12.2017 और दिनांक 27.02.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत की यथापरिचालित रूप में पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 08/2018

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2017 दिनांक 21.12.2017, दिनांक 02.02.2018 और दिनांक 27.02.2018 को आयोजित बैठकों के कार्य वृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।
एफ. 2(3)2017/एम.सी./डी.डी.ए.

1. प्राधिकरण की दिनांक 20.11.2017 दिनांक 21.12.2017, दिनांक 02.02.2018 और दिनांक 27.02.2018 को आयोजित बैठकों के कार्य वृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों (ए.टी.आर.) पर के संदर्भ में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित अवलोकन किए ।

2. श्री विजेंदर गुप्ता :

i) दि.वि.प्रा. मेंमुख्य अभियंताओं के पदों को दि.वि.प्रा. अधिकारियों द्वारा भी भरा जाना चाहिए । विभागीय अधिकारियों के नियमित नियुक्ति के पात्र होने तक उन्हें स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है ।

ii) 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंगोलपुर कलां में 500 परिवारों को आबंटित भूमि के नियमितीकरण पर विचार किया जाए ।

iii) पार्कों से झुग्गियां हटाने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की ।

3. श्री सोमनाथ भारती :

i) महरौली में चर्च कॉलोनी के निवासियों को आबंटित प्लॉटों के नियमितीकरण पर विचार किया जाए ।

ii) विजय मंडल पार्क में पिछले 9 महीनों से बनाए जा रहे शौचालय का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

iii) सामुदायिक सेवाओं हेतु गौतम नगर के निवासियों को वैकल्पिक भूमि के आबंटन पर विचार किया जाए ।

iv) शारदा पार्क के एक भाग का सार्वजनिक सड़क के रूप में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव दि.वि.प्रा. के पास लंबित है ।

v) हौज खास के खसरा सं. 277 में अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन हालांकि पहले ही किया जा चुका है, दि.वि.प्रा. ने स्थल के पुनः सीमांकन का प्रस्ताव किया है ।

vi) रोज गार्डन, हौज खास में आने-जाने वाले लोगों की बंदरों और सड़क पर घूमने वाले कुत्तों से सुरक्षा हेतु कुछ उपाए किए जाने चाहिए ।

4. श्री ओ.पी.शर्मा :

i) विश्वास नगर में 60 फीट सड़क के मार्गाधिकार हेतु झुग्गी बस्ती को हटाने के कार्य में कोई प्रगति नहीं है ।

ii) शांति स्वरूप भटनागर मार्ग पर व्यवसायिक परिसरों हेतु दि.वि.प्रा. के दो पार्क निर्धारित है जिसमें से एक में पूर्णतः और दूसरे में अंशतः अतिक्रमण है । यदि एक स्थल के अनधिकृत अतिक्रमण को दूसरे स्थान पर कर दिया जाए तो खाली किए गए स्थल का निपटान दि.वि.प्रा. द्वारा उसके नियत प्रयोजन के लिए किया जा सकता है ।

iii) प्रत्येक पार्क में केवल एक शौचालय परिसर विकसित किया जाना चाहिए ।

5. श्री एस.के. बग्गा :

i) अनुकंपा के आधार पर नियक्ति के संबंध में मामले में शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए । यह मुद्दा सभी अन्य प्राधिकरण सदस्यों द्वारा भी उठाया गया ।

6. श्रीमती वीना विरमानी :

i) कीर्ति नगर में स्व-स्थाने पुनर्वास कार्य में शीघ्रता लाई जानी चाहिए ।

ii) हालांकि दि.वि.प्रा. ने यह कहा है कि आवासीय संपत्तियों का तल-वार नियमितिकरण अनुमोदित नीति के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है, परमानंद कॉलोनी से प्राप्त एक अनुरोध को अस्वीकार किया गया है ।

iii) पार्कों की एक सूची सौंपी गई थी, जिसे उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनुरोध किया है कि उन पार्कों को रख-रखाव हेतु दि.वि.प्रा. द्वारा वापस ले लिया जाए।

iv) रोहिणी में दि.वि.प्रा. की भूमि को अनधिकृत रूप से काट कर बेचा जा रहा है । श्रीमती विरमानी ने इस संबंध में एक प्रतिवेदन सौंपा ।

v) पूर्व में ईदगाह स्थित बूचड़खाने हेतु आबंटित स्थल पर बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण की योजना के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा राजस्व साझा करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया क्योंकि यह स्थल सन् 1912 से दिल्ली नगर निगम के पास है ।

vi) यदि कीर्ति नगर स्थित अस्थायी दि.वि.प्रा. कार्यालयों को स्थानांतरित किया जा सके तो दि.वि.प्रा. अपने नियत प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग के लिए राजस्व प्राप्त कर सकता है ।

7. प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा दि.वि.प्रा. के पार्कों में शौचालयों के रख-रखाव का मुद्दा उठाया गया । यह निर्णय लिया गया कि सभी पार्कों में समुचित शौचालय सुविधाओं के रख-रखाव हेतु जिम्मेदारी और जुर्माने के प्रावधानों को सभी संविदा करारों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा ।
8. भूमि के खाली पड़े हिस्सों में अतिक्रमण रोकने के लिए दि.वि.प्रा. के सभी खाली पड़ी भूमि की घेरा बंदी का निण्रय लिया गया।
9. प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि प्राधिकरण बैठकों में उनके द्वारा अभी तक उठाए गए सभी मुद्दों की स्थिति रिपोर्टों का संकलन किया गया है और उन्हें इसकी सूचना दी गई है ।

मद संख्या 09/2018

रिंग रोड़ पर आई.पी. पावर स्टेशन, नई दिल्ली , योजना ज़ोन -डी में पड़ने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के कार्यालय के लिए 0.72 हेक्टे. (1.78 एकड़) प्लॉट के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना -2021 के उपखंड 8(2) के अंतर्गत सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग ज़ोन में सरकारी कार्यालयों की अनुमेयता ।

एफ. 20(11)95/एम.पी.

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया या । ले-आउट प्लान में संशोधन हेतु मामले को तत्काल दक्षिणी दिल्ली नगर परिषद् को भेजा जाए ।

<u>मद संख्या 10/2018</u>

उप खण्डों, प्रपत्रों/प्रोफार्मा के सरलीकरण एवं बंधपत्र (ओं)/शपथपत्र (ओं) के चूक के लिए एस.ओ. 1053 (ई) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित यूबीबीएल 2016 में संशोधन को अनुसमर्थन।

एफ 15(06)2016/एमपी/पार्ट

यू.बी.बी.एल. 2016 में एस.ओ. 1053 (ई) दिनांक 08.04.2017 द्वारा अधिसूचित संशोधन को किया गया था।

प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने माननीय राज्यपाल एवं दि.वि.प्रा. द्वारा भवन परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों की सरहना की।

<u>मद संख्या 11/2018</u>

नियोजित व्यावसायिक केंद्रों में बढ़े हुए तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) लागू करने के लिए संशोधित कार्य-विधि।

एफ.डिप्टी.डायरे.(आर्क)/कॉर्डि/एच.यू.पी.डब्ल्यू./2016
एजेण्डा मद में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 12/2018</u>

सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) को लागू विभागीय प्रभारों पर 50% छूट के साथ 749 एलआईजी/वनबेडरूम फ्लैटों (रोहिणी, सेक्टर 34 में 574 और सिरसपुर में 220 फ्लैटों) का आबंटन।

एफ.1(15)/2017/कार्डिनेशन.(एम)/डीडीए

केवल सीआईएसएफ एवं अन्य अर्धसैनिक बलों के लिए उपलब्ध एलआईजी/वन बेडरूम फ्लैटों के आबंटन के लिए आंशिक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रस्ताव के पैरा 5.4 में यथा वर्णित अन्य श्रेणियों को फ्लैटों के निपटान के लिए कार्यनीति हेतु प्राधिकरण के समक्ष पुन:प्रस्तुतीकरण के लिए अतिरिक्त जाँच और सभी से संभावित विकल्पों की जॉच पड़ताल की आवश्यकता है।

<u>मद संख्या 13/2018</u>

एमसीडी के सैनिटरी इंस्पेक्टर/असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के समतुल्य सैनिटरी इंस्पेक्टर को 5000-8000/- के उच्चतम वेतनमान और असिस्टेंट सैनेटरी इंस्पेक्टर को 4000-6000/- रुपये के उच्चतम वेतनमान की संस्वीकृति।

एफ.7(मिस.)04/पीएण्डसी/पार्ट.II

एजेण्डा में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 14/2018</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्पष्टीकरण के पश्चात वित्त वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वार्षिक खातों को अंगीकार करना।

एफ.6(1)2017-18/अकाउंटस (एम)एन्युल अकांउट/2016-17/डीडीए

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक खातों को अंगीकार करते समय प्राधिकरण के कुछ सदस्यों ने ऑडिट रिपोर्ट में कैग की टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाया है, जो कि एजेण्डा के साथ संलग्न है। टिप्पणियॉ मुख्यत: बकाया लेखापरीक्षा पैरा, उपार्जित आधार पर लेन-देन का गैर-अभिलेख, दोहरी लेखा प्रणाली से संबंधित आन्तरिक विशेषज्ञता की कमी और स्थायी परिसम्पत्तियों के नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन से संबंधित थी।

2. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने स्पष्ट किया कि कैग द्वारा पूर्व में भी इन मुद्दों को उठाया गया था। वर्तमान में, वार्षिक खातों को दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 25 के निबंधन एवं दि.वि.प्रा. बजट एवं लेखा नियम, 1982 के अनुसार तैया किया जा रहा है। वित्त सदस्य ने इसके अतिरिक्त स्पष्ट किया कि वर्तमान लेखांकन प्रणाली से उपार्जित आधार पर लेखांकन (दोहरी लेखा पद्धति के साथ) में परिवर्तन के लिए कम से कम एक वर्ष की अवधि की आवश्यकता होगी। और उसके लिए सी.जी.ए. एवं कैग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ऐसा निर्णय लिया गया कि इसके लिए एक कार्य योजना और समयावधि को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
3. उपर्युक्त निर्देशों के साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दि.वि.प्रा. के वार्षिक खातों को जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया, को प्राधिकरण द्वारा अनुसमर्थित किया गया था।

<u>मद संख्या 15/2018</u>

वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान।

एफ 4(3)बजट/2017-18/आर.बी.ई.

1. वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट अनुमानों एवं वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों पर चर्चा करने के दौरान प्राधिकरण के कुछ सदस्यों ने वर्ष 2017-18 के लिए बजट अनुमानों के साथ-साथ भुगतान दोनों में अंतर की ओर ध्यान दिलाया।

2. ऐसा स्पष्ट किया गया था कि अंतर मुख्यत: भूमि और आवासों के गैर-निपटान खाते में, उस सीमा तक जहां वे प्रस्तावित थे, में विभिन्न कारणों से है।
3. दि.वि.प्रा. द्वारा गैर विक्रित दुकानों की वृहत माल सूची को ध्यान में रखते हुए कुछ प्राधिकरण के सदस्यों ने सुझावों को नोट किया गया।
4. पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट अनुमानों एवं वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 16/2018</u>

निम्न अवधि के लिए फ्लैटों की मानक लागत के निर्धारण के लिए कुरसी क्षेत्रफल दरों का निर्धारण:

(क) 1 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 और

(ख) 1 अक्टूबर, 2017 से 31 मार्च, 2018

एफ21(1671)/2001/एनएसी/पार्ट.III

प्राधिकरण द्वारा मद के पैरा 8 पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ निहित प्रस्ताव पर विचार किया गया एवं अनुमोदन दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने अथवा दि.वि.प्रा. आवास योजना 2017 अथवा मिनी ड्रा के माध्यम से आबंटित फ्लैटों की निपटान लागत का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए 31.03.2018 से अगले तीन माह अर्थात् 30.06.2018 तक की अवधि के लिए वैध कुरसी क्षेत्रफल दरों और भूमि दरों (पीडीआर) की निरंतरता के लिए इस मद में अनुशेष को अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या 17/2018</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रोहिणी फेज iv एवं v के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण

एफ4(50)2016/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 18/2018</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए टिकरी कलां के संबंध में पूर्व-निर्धारित दरों का निर्धारण।

एफ4(52)2016/एओ(पी)/डीडीए

एजेंडा में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

<u>मद संख्या 19/2018</u>

शालीमार बाग के ब्लॉक बीजी, बीएच एवं बी जे के जे जे कलस्टरों का पुनर्वास

फाइल सं एफ 12(385)06/एचसी/लीगल/पार्ट

पर्याप्त विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक पात्र जे जे कलस्टर निवासी को 112200/- रुपये जमा(+)30000 रुपये (पांच वर्षों की अनुक्षण लागत के रूप में) ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट आबंटित किये जाएं।

<u>अन्य बिंदु:</u>

1. श्री ओ.पी.शर्मा ने बताया कि जिन्होंने सैनी इन्क्लेव में दि.वि.प्रा. की भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है और पूर्व में दि.वि.प्रो. के विरूद्ध न्यायालय में केस जीत चुके हैं, उनको वास्तव में उनकी भूमि पर अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्राप्त हो चुका है।
2. श्री ओ.पी.शर्मा और श्रीमती वीना वीरमानी ने सुझाव दिया कि सभी प्रकार के समाप्त हुए भूमि के पट्टे के लिए नियमितीकरण हेतु एक नीति बनायी जानी चाहिए।
3. श्री सोमनाथ भारती ने बताया कि बेगमपुर में डीएमआरसी की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस क्षेत्र में पार्किंग लॉट की आवश्यकता है।
4. श्री एस.के.बग्गा ने बताया कि दिल्ली सरकार ने गीता कॉलोनी में चाचा नेहरू हॉस्पिटल के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित भूमि के लिए भुगतान कर दिया है। ई.डी.एम.सी. को पार्किंग लॉट के रूप में भूमि के उपयोग को बंद कर देना चाहिए।

प्राधिकरण सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी अन्य बिन्दुओं की दि.वि.प्रा. द्वारा जॉच की जाएगी और प्रत्येक बिन्दु पर एक स्थिति रिपोर्ट प्राधिकरण की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। माननीय उप राज्यपाल ने बैठक में सहभागिता के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों एवं वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।